

राजस्थान सरकार
 न्यायालय उप खण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
 (पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट) कैम्प
 आदेश

142/2021

प्राचीन के "खातादुरुस्ती" प्रार्थना पत्र पटवारी
 व भू.अ.नि. का 61/101 की रिपोर्ट तथा तहसीलदार
 /नायब तहसीलदार की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान धू-राजस्व अधिनियम
 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम तहसील
 जिला की जमाबन्दी संख्या में खाता संख्या
 जयपुर 2073-76 15, 26
 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि अशुद्ध प्रविष्टि	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है)
1	वरखेडा	15, 26	दोटे लाल पुत्र रामनाथ	दोटे राम पुत्र रामनाथ

शिवाजीन अधिकारी
 उपखण्ड लोक अदालत
 कैम्प कोर्ट अधिकारी
 पदेन सहा. कलक्टर

क्रमांक :- 214/2021/3780

दिनांक :- 15.12.2021

- प्रतिलिपि :-
1. तहसीलदार को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद जोड़
 किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवाये।
 2. प्राचीन श्री दोटे राम पुत्र रामनाथ माली नि. वरखेडा को सूचनाएं।
 3. रक्षित पत्रावली

शिवाजीन अधिकारी
 उपखण्ड लोक अदालत
 कैम्प कोर्ट अधिकारी
 पदेन सहा. कलक्टर